रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09102023-249284
SG-DL-E-09102023-249284

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 9, 2023/आश्विन 17, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 245
No. 303]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 2023/ASVINA 17, 1945	[N. C. T. D. No. 245

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2023

फा. सं. 16(503)/शह.वि./डब्ल्यू/2015/1246.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धाराएं 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 18.01.2019 की अधिसूचना संख्या 16(503)/शह.वि./डब्ल्यू /2015/103 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात, दिल्ली जल बोर्ड में सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भर्ती विनियमन एतद् द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :— (I) इन विनियमनों को दिल्ली जल बोर्ड 'सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)' भर्ती विनियमन, 2023 कहा जाए।

   (II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस विनियमन के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **उपबंध शिथिल करने की भाक्ति** :–जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन विनियमनों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुलग्नक – I

अनुसूची

क्र. सं.	**मद**	**वर्तमान समय में प्रस्तावित**
1.	पदनाम	**सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक)**
2.	**पदों की संख्या**	98* (2023) परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	समूह 'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 09 (रुपये 53100– 167800/–)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा**	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीप** : आयु–सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	**योग्यता : अनिवार्य –** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में उपाधि। **टीप 1**:– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। अनुभव : लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के**	आयु : लागू नहीं

	लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु–सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये 02 वर्ष **टीप** :–पद के कर्त्तव्यों/उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्मित एवं प्रायोजित के रूप में एक माह का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण परिवीक्षा के सफलतापूर्ण पूर्ण होने का हिस्सा होगी।
10.	**भर्ती की पद्धति – सीधी भर्ती द्वारा, या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	36 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 64 पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती हानी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	**पदोन्नति** :– ग्रेड में 03 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 (रुपये 44,900–142400/–) में कनिष्ठ अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से अभियांत्रिकी मामले में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले। **टीप** :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो, या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** : केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त निकायों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों के अधिकारीः– क. (I) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (II) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर –8 (रुपये 47,600–151100/–) के पदों में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा समकक्ष; तथा (ख) कॉलम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले। **टीप 1**: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है, वे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप 2**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि में केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम

		आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	**विभागीय पदोन्नति समिति :–** 1. सदस्य (प्रशा.), दिल्ली जल बोर्ड – अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड – सदस्य 3. सहायक आयुक्त (जल), दिल्ली जल बोर्ड – सदस्य **विभागीय स्थायीकरण समिति :–** 1. सदस्य (प्रशा), दिल्ली जल बोर्ड – अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड – सदस्य 3. सहायक आयुक्त (जल), दिल्ली जल बोर्ड – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

अभिताभ कुण्डू, उप–सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th October, 2023

No.16(503)/UD/W/2015/1246.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of Delhi Administration Notification No. 16 (503) /UD/W/ 2015/103 dated 18.01.2019 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of competent authority with prior consultation of Union Public Service Commission, for regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Electrical / Mechanical) in the Delhi Water Board, are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement: -** (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board 'Assistant Engineer (Electrical / Mechanical)' Recruitment Regulations, 2023.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay matrix**: The number of said posts, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications: -**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification:—** No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. **Power to relax the provisions**:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving: -** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

ANNEXURE-I

SCHEDULE

Sl. No.	**ITEM**	**NOW PROPOSED**
1.	NAME OF THE POST.	ASSISTANT ENGINEER (E&M)
2.	NO. OF POSTS.	98*(2023) SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD
3.	CLASSIFICATION.	GROUP 'B'
4.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	LEVEL-09 (RS.53100- 167800/-) IN THE PAY MATRIX
5.	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST.	SELECTION POST
6.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	NOT EXCEEDING 35 YEAR (RELAXABLE FOR GOVT SERVANTS UPTO 5 YEARS IN ACCORDANCE WITH INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUE BY CENTRAL GOVT.) **NOTE: -** THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE AS ADVERTISED BY THE DSSSB.
7.	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	QUALIFICATION**:** ESSENTIAL: DEGREE IN ELECTRICAL/ MECHANICAL ENGINEERING FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY/ INSTITUTE. **NOTE 1:** - QUALIFICATIONS ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY, FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITTING, IN THE CASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELL QUALIFIED. EXPERIENCE: NA
8.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	AGE: NA EDU.QUAL: NA
9.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	2 YEARS FOR DIRECT RECRUITS. **NOTE**: MANDATORY INDUCTION TRAINING OF ONE MONTH AS DEVISED AND SPONSORED BY DELHI JAL BOARD IN THE FIELD OF DUTIES/RESPONSIBILITIES OF THE POST, WILL BE PART OF SUCCESSFUL COMPLETION OF PROBATION.
10.	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	36 % BY DIRECT RECRUITMENT. 64% BY PROMOTION FAILING WHICH DEPUTATION INCLUDING SHORT TERM CONTRACT.

11.	CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	**PRMOTIOTION:** JUNIOR ENGINEER (ELECTRICAL/MECHANICAL) IN LEVEL 7 (RS. 44900-142400/-) IN THE PAY MATRIX WITH 3 YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE AND HAVING UNDERGONE ONE WEEK'S TRAINING IN THE ENGINEERING MATTER FROM DELHI JAL BOARD TRAINING INSTITUTE. **NOTE:** WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE , OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG-WITH THEIR JUNIOR WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE.. DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM CONTRACT): OFFICERS OF THE CENTRAL OR STATE GOVERNMENT OR UNION TERRITORY ADMINISTRATION OR PUBLIC SECTOR UNDERTAKING OR STATUTORY OR AUTONOMOUS BODIES OR RECOGNIZED UNIVERSITIES OR INSTITUTIONS. A (I) HOLDING ANALOGOUS POSTS ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/ DEPARTMENT; OR (II) WITH TWO YEARS REGULAR SERVICE IN THE POST S IN LEVEL-8 (RS. 47600-151100/-) OF THE PAY MATRIX OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; AND (B) POSSESSING THE EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS UNDER COL (7). **NOTE 1:** THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF PROMOTION WILL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION (ISTC). SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION. **NOTE 2**: PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (ISTC) SHALL BE NOT EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF THE RECEIPT OF APPLICATIONS.
12.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	**DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE :** 1. MEMBER (ADMINISTRATION), DELHI JAL BOARD –CHAIRMAN. 2. DIRECTOR (ADMINISTRATION AND

		PERSONNEL), DELHI JAL BOARD –MEMBER. 3. ASSISTANT COMMISSIONER (WATER), DELHI JAL BOARD –MEMBER. **DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE :** 1. MEMBER (ADMINISTRATION), DELHI JAL BOARD –CHAIRMAN. 2. DIRECTOR (ADMINISTRATION AND PERSONNEL), DELHI JAL BOARD –MEMBER. 3. ASSISTANT COMMISSIONER (WATER), DELHI JAL BOARD- MEMBER.
13.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.	CONSULTATION WITH UPSC IS NOT NECESSARY.

AMITABH KUNDOO, Dy. Secy. (Water)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.09 22:27:04 +05'30'